

न्यायालय :- प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

उपस्थित :- (वीरेन्द्र कुमार चौबे)

प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश
-सह विशेष न्यायाधीश, किशोर न्यायालय,
मधेपुरा।

B.P. No.-197/2026
श्रीनगर थाना कांड सं.-122/2025

1- रितेश झा उर्फ भानु झा उम्र करीब 30 वर्ष पिता दिनेश झा
(साकिन-बेला सदी, वार्ड नं.-02, थाना-श्रीनगर एवं जिला-मधेपुरा)आवेदक।

बनाम

बिहार सरकारओ.पी.।

13-03-2026

दिनांक 25.02.2026 से काराधीन अभियुक्त **रितेश झा उर्फ भानु झा** की ओर से दाखिल जमानत आवेदन दिनांक 06.03.2026 को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्रकांत झा, द्वारा प्रचालित किया गया। नियमित जमानत आवेदन-पत्र की प्रति विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरुषोत्तम प्रसाद यादव को दी जा चुकी है।

सूचक संतोष झा के टंकित आवेदन के आधार पर अभियोजन मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक-18.12.2025 को समय करीब 2.30 बजे दिन में जमीन विवाद को लेकर उसके गाँव के दिनेश झा, भानू झा, के द्वारा उसके घर पर आकर गाली-गलौज करते हुए जमीन का कागज मॉगने लगा और कहने लगा कि यह जमीन उसका है। तुमलोग घर खाली करो, जब वह इस बात का विरोध किये तो दोनों मिलकर उसके आँगन में रखा धान को बाहर फेकने लगा एवं उसके साथ धक्का मुक्की कर मारपीट करने लगा। मारपीट करते देखकर जब उसकी पत्नी बचाने आयी तो उसके साथ दोनों मिलकर अभद्र व्यवहार करने लगा। मारपीट के दौरान उसके पॉकेट से 3000/- तीन हजार रूपया दिनेश झा निकाल लिये और उसके घर में आग लगाने लगा। तब उसके द्वारा हल्ला करने पर ग्रामीण लोग आये तब दोनों व्यक्ति वहाँ से भाग गया जाते समय धमकी दिये कि तुमलोग जमीन खाली करों नहीं तो जान से मार देंगे। सूचक के टंकित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध श्रीनगर थाना कांड सं.-122/2025 अन्तर्गत धारा 126(2),115(2),76,303(2),352,3(5) बी.एन.एस. में प्राथमिकी दर्ज किया गया।

आवेदक अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्रकांत झा द्वारा यह अभिवाचित किया गया है कि आवेदक पुर्णतः निर्दोष है एवं आवेदक के द्वारा प्राथमिकी में लगाये गये अभियोग का अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक को इस मुकदमा में उसे तंग एवं परेशान करने के लिए दुश्मनों के इशारे पर झुठा फँसाया गया है। आवेदक को सूचक से पूर्व से भूमी विवाद है एवं दबाव डालने के लिए सूचक के द्वारा आवेदक यह झुठा केस किया है। भूमी विवाद के कारण उभय पक्षों के मध्य कुछ गर्मा-गर्मी बहस होने पर सूचक के द्वारा आवेदक पर झुठा रूप से गंभीर आरोप लगाकर के यह मुकदमा संस्थित करवा दिया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सूचक की पत्नी को कभी भी आवेदक के द्वारा दुरव्यवहार नहीं किया गया है और इस संदर्भ में उस पर लगाये गये अभियोग मनगढ़ंत एवं झुठा है। इस मुकदमा से पूर्व आवेदक के पिता के द्वारा समाहर्ता मधेपुरा के न्यायालय में होम स्टीट लैंड केस

13/3/26

13-03-2026
लगातार.....

नं.-17/24 दाखिल किया गया है। इस मुकदमा में धारा 76 एवं 303(2) बी.एन.एस. को छोड़कर अन्य सभी धाराएँ जमानतीय है और इन धाराओं को उपर से जोड़ दिया गया है ताकि मुकदमा को गंभीर बनाया जा सके। पर मुकदमा के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक के विरुद्ध धारा 76 बी.एन.एस. का कोई मुकदमा नहीं बनता है। केस दर्ज करने में अनावश्यक विलंब हुआ है। घटना की तिथि 18.12.2025 के 14.30 बजे की है जबकि प्राथमिकी दिनांक- 25.12.2025 को 10.15 बजे संस्थित करवाया गया है एवं इस विलम्ब का कोई भी संतोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है जो अभियोजन के मुकदमा को संदेहास्पद बनाता है। इस मुकदमा के सह अभियुक्त दिनेश झा को पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन संख्या- 135/25 में पारित दिनांक- 18.02.2026 आदेश से जमानत दिया गया है। अभियुक्त दिनांक-25.02.2026 से काराधीन है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि आवेदक अभियुक्त न्यायालय को पर्याप्त राशि का एवं संतोषप्रद निजी बंध-पत्र एवं प्रतिभू दाखिल करने को तैयार है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित किये जाने वाले सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को नियमित जमानत की सुविधा दी जाय।

बिहार सरकार के विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरुषोत्तम यादव, द्वारा उक्त नियमित जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति करते हुए कहा गया कि आवेदक अभियुक्त का नियमित जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत मेरे द्वारा औपचारिक प्राथमिकी, सूचक के टंकित आवेदन, मूल अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के घर पर आकर गाली-गलौज करते हुए ऑगन से धान को बाहर फेंकने, धक्का-मुक्की कर मारपीट करने एवं बचाने आयी उसकी उसकी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा तीन हजार रुपया लेने का आरोप है। कांड दैनिकी के पैरा-7 में वादी ने अपने पुनः बयान में, पैरा- 8,10,11 में साक्षी सीमा देवी, सोहित कुमार, धनश्याम झा ने भी घटना का समर्थन किया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अन्डरटेकिंग दिया गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध एक वाद श्रीनगर थाना कांड संख्या-09/24 लंबित है। प्रस्तुत वाद में सह अभियुक्त दिनेश झा को अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-135/25 दिनांक-18.02.2026 के द्वारा जमानत दिया गया है। अभियुक्त दिनांक-25.02.2026 से काराधीन है।

वाद के उक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं आवेदक अभियुक्त की कारावधि को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को नियमित जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत होता है, परिणामस्वरूप आवेदक अभियुक्त **रितेश झा उर्फ भानु झा** को मो. 10,000/-रुपये के दो समान राशि के प्रति-भू के साथ जमानत बंध-पत्र दाखिल करने पर एवं अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

Virender K. Chaudhary
12/3/26
(वीरेन्द्र कुमार चौबे)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम,
सह-स्पेशल जज, मधेपुरा।